आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 575/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय तृतीय तल, जेएसईएल बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स एवरग्रीन बायो प्लांटेक (प्रतिनिधित्व मालिक श्री चन्द्रजीत सिंह राजावत),
   पताः– एफ–74ए, करतारपुरा इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर
   एवं प्लॉट नं. 274, ग्राउंड फ्लोर, विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड़, संजीवनी हॉस्पिटल के पास, जयपुर
   एवं मोहन नगर, नाहरगढ़ फोर्ट के पीछे, पुरानी बस्ती, चांदपोल बाजार, जयपुर।
2. श्री चंद्रजीत सिंह राजावत पुत्र श्री फतेह सिंह राजावत,
3. श्रीमती टीकम कंवर राजावत,
   पताः– एफ–74ए, करतारपुरा इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर
   एवं प्लॉट नं. 274, ग्राउंड फ्लोर, विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड़, संजीवनी हॉस्पिटल के पास, जयपुर
   एव बी–55ए, न्याय वाटिका, श्री रामजी की नांगल, वाटिका रोड़, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री अरविन्द कुमार कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.06.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्री चन्द्रजीत सिंह राजावत के स्वामित्व की संपत्ति 1.प्लॉट नं. 274, ग्राउंड फ्लोर पर स्थित फ्लेट विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड़, संजीवनी हॉस्पिटल के पास, जयपुर, क्षेत्रफल 900 वर्गफीट एवं 2.प्लॉट नं. बी–55ए, न्याय वाटिका, श्रीरामजी की नांगल, वाटिका रोड़, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 165 वर्गगज** को बन्धक रख कर दिनांक **26.10.2016** को राशि **15,13,940/–** एवं दिनांक **13.04.2022** को राशि **50,00,000/–** रूपये, कुल राशि **65,13,940/–** रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **23.02.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पारा बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 65,13,940/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 63,32,467/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.02.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्री चन्द्रजीत सिंह राजावत के स्वामित्त्व की बंधक संपत्तियां 1.प्लॉट नं. 274, ग्राउंड फ्लोर पर स्थित फ्लेट विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड़, संजीवनी हॉस्पिटल के पास, जयपुर, क्षेत्रफल 900 वर्गफीट एवं 2.प्लॉट नं. बी–55ए, न्याय वाटिका, श्रीरामजी की नांगल, वाटिका रोड़, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 165 वर्गगज** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner